पत्र संख्या-वैट/विधि-1(2)/मा0 मुख्यमंत्री संदर्भ भाग-4/288/ 0910029 //वाणिज्य कर ।

प्रेषक,

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ : दिनांक : जून, 29, 2009

महोदय,

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 में कर निर्धारण वर्ष 07-08 का वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि 31-3-2009 निर्धारित की गई है । उपयुक्त कारण होने पर कर निर्धारक प्राधिकारी एवं कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 द्वारा वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि 90 दिन तक बढ़ाये जाने का प्राविधान है । कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के नियम 4 के उपनियम 5 के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में 90 दिन की बढ़ोत्तरी के अधिकार का प्रयोग करते हुए पत्र सं0-वैट/विधि-1(1)परिपत्र भाग-2 (09-10)/205/वाणिज्य कर, दिनांक 4-6-09 द्वारा उपरोक्त समय सीमा को 90 दिन तक बढ़ाये जाने का निर्देश दिया गया है ।

शासन स्तर पर इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि लगभग 70 प्रतिशत करदाता कतिपय अपरिहार्य कारणों से वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाये हैं । प्रत्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए शासन ने अपने पत्र संख्या-1495/ग्यारह-2-09-9(295)/07, दिनांक 29-6-09 द्वारा निर्देशित किया है कि जिन व्यापारियों द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2007-08 का वैट वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, उनके विरुद्व दिनांक 31-8-2009 तक कोई कार्यवाही न की जाये । कृपया तद्नुसार अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

ह0/- 29-6-09
(यू0सी0 दीक्षित)
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-1495/ग्यारह-2-09-9(295)/07, दिनांक 29-6-09 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-29-6-09
(यू0सी0 दीक्षित)
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।